



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग  
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक- 381 / 138 सा0प्र0- Empanelment / 20

दिनांक 6 / 07 / 2020

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग में कतिपय Consultants के सूचीबद्धता प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक-30.06.2020 तक की निर्धारित है। वर्तमान में कोविड-19 (Covid-19) के दृष्टिगत लॉकडाउन के कारण Consultants को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई आ रही है, जिस हेतु Consultants द्वारा सूचीबद्धता प्रमाण पत्र में 03 माह का समय विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

अतः कोविड-19 (Covid-19) के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत मार्ग कार्य (श्रेणी-R1/R2) एवं सेतु कार्य (श्रेणी-B1/B2) में ऐसे Consultants जिनके सूचीबद्धता प्रमाण पत्र दिनांक-30.06.2020 को समाप्त हो रहे हैं, उनके नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक-30.09.2020 तक समय विस्तार किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शेष शर्तें यथावत रहेगी।

आज्ञा से  
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून को अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय / रा0मा0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0यू0, ए0डी0बी0 / पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौड़ी / देहरादून/हल्द्वानी।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ..... वां वृत्त, लो0नि0वि0, ..... ।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय, एवं अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ..... लोक निर्माण विभाग, ..... ।
5. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, I/II विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली हेतु।

IT. Head  
8/7/20

11/07/2020  
(इ0 अयाज अहमद)  
मुख्य अभियन्ता स्तर-। (नि0)

83